रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 2000/भाद्र 17, 1922
No. 468] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 2000/BHADRA 17, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पोत परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2000

सा. का नि. 711(अ).– केन्द्रीय सरकार, प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 10 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का.आ. 34(अ) तारीख 7 जनवरी, 1993 को उन बातों के सिवाए ऐसे अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, यह निर्देश देती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के अगले दिन से, इसमें संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 में वर्णित सभी पोतों और जलयानों के लिए इस अनुसूची के स्तंभ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर भारत में सभी पत्तनों पर दीप शुल्क संदेय होगा ।

अनुसूची

क्रम सं0	पोत/जलयान का वर्णन	प्रति टन दीप शुल्क की दर
1.	2.	3.
1.	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में यथा परिभाषित विदेश गामी पोत	8 रूपए प्रति टन

1.	2.	3.
2.	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में यथा परिभाषित तटीय पोत/गृह व्यापार पोत या ऐसे पोत जिन्हें वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा तटीय परिचालन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ।	कुछ नहीं
3.	वाणिज्य पोत परिविहन अधिनियम, 1958 में यथा परिभाषित चलत जलयान	कुछ नहीं

[फा. सं० एल.एच.-11012/1/97-एस एल]

एम० रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Shipping)

(SHIPPING WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2000

G.S.R. 711(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 10 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport S.O. No.34(E) dated the 7th January 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that, with effect from the day following the expiration of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, Light-dues shall be payable at all ports in India in respect of all Ships and Vessels described in Column (2) of the Schedule below at the rates prescribed in the corresponding entry in Column (3) of the Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Description of Ship/Vessel	Rate of Light dues per ton
1	2	3
(1)	foreign going ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958	Rs.8/- per ton
(2)	coasting ships/home-trade ships as defined in the Merchant Shipping Act, 1958 or ships granted licence for coastal runs by Directorate General of Shipping under the Merchant Shipping Act, 1958	Nil.
(3)	sailing vessels as defined in the Merchant Shipping Act, 1958.	Nil.

[F. No. LH-11012/1/97-SL]

M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2000

सा. का नि. 712 (अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 21 की उपधारा । द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात् प्रकाशस्तम्भ लेखा और वित्तीय शक्तियां नियम, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियां (संशोधन) नियम, 2000 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रकाशस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियां नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. सीमाशुल्क के अधिकारी, प्रकाश शुल्क के लेखे समस्त वसूली का लेखा-जोखा सर्वप्रथम " 8658 उचंत खाता-वेतन और लेखा अधिकारी-उचंत- वेतन और लेखा अधिकारी, प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत, " दीप भवन, ए-13 सेक्टर -24 नोएडा 20301 (उत्तर प्रदेश)" द्वारा समायोजन मदें " शीर्ष के अधीन भारतीय लोक लेखा में देंगे । यह सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क के विभिन्न वेतन और लेखा अधिकारियों के उपरोक्त लेखा शीर्ष तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली के समेकित लेखे के अधीन प्रकट होगा । सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का वेतन और लेखा अधिकारी, मासिक लेखा बंद करने से 15 दिन के भीतर ऊपर निर्दिष्ट शीर्ष के अधीन की गई वसूलियों को उसके द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त आई.एल.एच.प्ररूप सं० 11 की प्रतियों से मिलाएगा और वसूलियों को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से नोएडा 201301 (उत्तर प्रदेश) या दिल्ली/ नई दिल्ली पर संदेय चैक द्वारा आई.एल.एच.।। की एक प्रमाणित प्रति सहित वेतन और और लेखा अधिकारी प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत," दीप भवन" तुलसी मार्ग ए-13, सेक्टर -24, नोएडा (उत्तर प्रदेश) को प्रेषित करेगा । सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के वेतन और लेखा अधिकारियों द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी को किए गए प्रेषण ऊपर निर्दिष्ट उक्त शीर्ष को विकलित किए जाएंगे । सीमाशुल्क के अधिकारी, प्रतिदाय की सभी वसूलियों के विवरण की आई.एल.एच.- ।। प्ररूप में तीन प्रतियां तैयार करेंगे । विवरण की एक प्रति प्ररूप आई.एल.एच.-9 में रसीदों के प्रतिपर्ण और प्रतिदाय बाउचर, यदि कोई हों, की दूसरी प्रति/प्रतियों सहित महानिदेशक प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत को भेजी जाएगी । प्ररूप आई.एल.एच.-।। में विवरण की दो प्रतियां, सीमा-शुल्क के अधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादशुल्क वेतन और लेखा

अधिकारियों को भेजी जाएंगी । सीमाशुल्क के अधिकारी प्रतिवर्ष पूर्ण विशिष्टियों सहित उद्गृहित प्रकाश-शुल्क दर्शाने वाला एक सारांश भी तैयार करेंगे और इस सारांश की एक प्रति वर्ष महानिदेशक प्रकाशस्तंभ और प्रकाशपोत को प्रस्तुत करेंगे ।"

3. उक्त नियमों के नियम 31 में प्ररूप के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

" विशिष्टयां	वास्तविक टन भार
(1)	(2)
विदेशगामी पोतों का टन भार	-
कुल संग्रहित शुल्क	-
कुल व्यय	-

4. उक्त नियमों में अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" अनुसूची 2
(नियम 3 खण्ड (च) उपखंड (i) और (2) देखिए)

क्रम सं०	पोत/जलयानों का वर्णन	प्रकाश शुल्क की दर
1.	2.	3.
(1)	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में यथा परिभाषित विदेशगामी पोत	8 रूपए प्रति टन
(2)	तटीय पोत/गृह व्यापार पोत या ऐसे तटीय परिचालन के लिए पोत जिन्हें वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा अनुज्ञप्त किया गया है ।	कुछ नहीं
(3)	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में यथा परिभाषित चलत जलयान	कुछ नहीं

टिप्पण:- केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत टन भार की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है ।"

5. उक्त नियमों में आई.एल.एच. प्ररूप सं० ।। के स्थान पर निम्नलिखित आई.एल.एच. प्ररूप सं. ।। रखा जाएगा, अर्थात् :-

" आई.एल.एच.प्ररूप सं.।।

(प्रकाशस्तंभ लेखा और वित्तीय शक्तियां नियम, 1993 का नियम 8 का उपनियम (2) देखिए)

20 ------------------मास के दौरान भारतीय (तट) प्रकाश स्तम्भों के लेखें प्रकाश शुल्कों के लिए उपरोक्त पत्तन पर संगृहीत सभी धन का एक लेखा

बही सं.	रसीद सं.	सीमा शुल्क बाउचर सं	तारीख	पोत का नाम	मास्टर या अभिकर्ता का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

किस राज्य से सम्बद्धता है	समुद्र यात्रा पर से	समुद्र यात्रा पर को	आगमन की तारीख	प्रस्थान की तारीख	वह तारीख जिसको शुल्क संदेय हो	प्रति टन की दर
7	8	9	10	11	12	13
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

विदेश गामी पोत		प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत के महानिदेशक को प्रेषित की गई रकम	बैंक का नाम और बैंक ड्राफ्ट की तारीख	टिप्पणियां
टनभार	रकम			
14	15	16	17	18
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

टिप्पणी:- यह लेखा प्रकाश शुल्क के कलेक्टरों द्वारा प्रत्येक मास कं अंत में तैयार किया जाएगा और जारी की गई रसीदों (आई.एल.एच. प्ररूप संख्या 9) के प्रतिपर्णों के साथ महानिदेशक, प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत को अग्रेषित किया जाएगा । यदि कोई प्रतिदाय किया जाता है तो रकम को पृथक रूप से टिप्पणी के स्तंभ के नीचे लेखे की समाप्ति पर लिखा जाए तथा सकल राजस्व से कटौती की जाए । किसी भी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है जब तक आई.एल.एच. प्ररूप संख्या 1 पर उचित वाउचर पर प्रेषित नहीं किया जाए । जब कभी भी इन प्ररूपों की और आवश्यकता हो तो महानिदेशक, प्रकाश स्तम्भ, प्रकाश पोत को आवेदन पत्र भेजे जाए । "

[फा. सं० एल.एच.-11012/1/97-एसएल]

एम० रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 239 दिनांक 25 अप्रैल, 1995 द्वारा, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में 25 अप्रैल, 1995 को प्रकाशित हुए।